कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रतियोगिता अभिलेख निदेशालय भिजवाने के संबंध में आयोजक संस्था प्रधानो हेतु निर्देश

राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात निम्नांकित अभिलेख अविलम्ब निदेशालय द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के साथ अनिवार्यतः भिजवावें :–

(1) स्मरण प्रमाण पत्रों का हिसाब निम्न प्रपत्र के अनुसार भिजवावें :–

1. मुद्रित करवाये गये स्मरण प्रमाण की कुल संख्या .... क्रमांक................ क्रमांक से ....तक
2. खिलाड़ियो को वितरित किये गये प्रमाण पत्रो की संख्या............ क्रमांक..............क्रमांक से.............. ....तक
3. लिखते समय खराब हुए स्मरण प्रमाण पत्रों की संख्या ....क्रमांक...............क्रमांक से.................. ....तक
4. शेष रहे स्मरण प्रमाण पत्र जिन्हे निरस्त किया गया कि संख्या...........क्रमांक...........क्रमांक से ....तक

(2) प्रतियोगिता समाप्त होते ही अवितरित (शेष रहे) स्मरण प्रमाण पत्रों को तत्काल निरस्त (रद्द) कर दिया जावें एवं स्मरण/मेरिट प्रमाण पत्रों के हिसाब का रजिस्टर की एक प्रति संस्था प्रधान अपने अभिलेख में सुरक्षित रखी गई है। इस आश्य का प्रमाण पत्र आयोजन सचिव निदेशकालय को अभिलेख के साथ भिजवावें।

(3) मेरिट प्रमाण पत्रों का हिसाब निम्नानुसार भिजवावें :–

1. प्राप्त मेरिट प्रमाण पत्रों की संख्या क्रमांक .... से ....तक कुल ....
2. खिलाड़ियों को वितरित किये गये मेरिट प्रमाण पत्रों की संख्या क्रमांक .... से ....तक कुल. ....
3. लिखते समय खराब हुए स्मरण प्रमाण पत्रों की संख्या क्रमांक ....से क्रमांक ....तक कुल.. ....
4. शेष रहे स्मरण प्रमाण पत्र जिन्हे निरस्त किया गया क्रमांक ....से क्रमांक .... तक कुल.... ....

(4) अप्रयुक्त (रिक्त रहे शेष) मेरिट प्रमाण पत्रों को निरस्त कर पर्ण एवं प्रतिपर्ण कर संस्था प्रधान अपने हस्ताक्षार एवं मोहर लगाकर निदेशकालय को भिजवावें। वितरित किये गये मेरिट प्रमाण पत्रों के प्रतिपर्ण (काउण्टर फाईल) भी निदेशकालय को भिजवावें।

(5) **प्रत्येक जिले से भाग लेने वाले खिलाडियों को पूर्ण अभिलेखों का अवलोकन करते हुए योग्यता फार्म के अनुसार केवल एक पंजियन रजिस्टर (सजिल्द) संलग्न परिशिष्ठ–क के अनुसार तैयार किया जावे एवं इस कार्य की एक सी.डी. भी भिजवावें । पंजीयन रजिस्टर में प्रवृष्टि के प्रत्येक पृष्ठ पर आयोजक संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय सील आवश्यक हैं। विदित रहें प्रत्येक प्रतियोगिता आयोजक की ओर से (उनके यहां एक या एक से अधिक खेल/आयुवर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित होने पर भी) केवल एक सजिल्द पंजीयन रजिस्टर ही स्वीकार्य होगा। रजिस्टर में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाली टीमों/खिलाड़ियों को पृथक से इन्द्राज करना आवश्यक है ।**

(6) निदेशालय द्वारा प्रतिनियुक्त चयन समिति एवं निर्णायक मण्डल के सदस्यों एवं पर्यवेक्षक उपस्थित हुए या नहीं ? उनकी सूची अलग – अलग भिजवावें ।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(7) प्रतियोगिता में खेलवार प्रथम, द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले खिलाडियों के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कक्षा, विधालय का पूरा नाम, घर का स्थाई पता आदि तीन प्रतियों में भिजवावें। सूची में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाडियों को वितरित किये गये मेरिट प्रमाण पत्र कमांक भी अंकित करें।

(8) **जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/आयोजक संस्था प्रधान/संयोजक चयन समिति एवं निर्णायक मण्डल को निर्देशित किया जाता है कि मेरिट प्रमाण पत्र पूर्ण जांच करने के पश्चात ही सम्बन्धित खिलाड़ी/दल को दिया जाना सुनिश्चित करें ।**

(9) प्रतियोगिता आयोजन के संबंध में आहुत बैठकों के संबंध में विस्तृत ब्यौरा एवं बैठकों का एजेण्डा भिजवावें एवं प्रतियोगिता आयोजन के दौरान हुई किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की पूर्ण सूचना कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाई जाना सुनिश्चित करें ।

(10) प्रतियोगिता उदघाटन एवं समापन सामारोह में आये मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का ब्यौरा भिजवावें ।

(11) प्रतियोगिता उद्घाटन एवं समाप्ति कार्यक्रम का विस्तृत ब्यौरा भिजवावें ।

(12) प्रतियोगिता के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाने पर संबंधित अधिकारी/कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी । अनुशसनहीनता हुई तों उसका विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत करें।

(13) खेलवार मैदान एवं उपकरणों/आवास व्यवस्था का सम्पूर्ण ब्यौरा भिजवावें ।

(14) राज्य स्तरीय प्रतियोंगिता हेतु प्रतिनियुक्त किये गये कार्मिकों की सूचना :-
1. माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों की संख्या (जिले के)
2. माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों की संख्या (जिले के बाहर की)
3. प्रारम्भिक शिक्षा के कार्मिकों की संख्या (जिले एवं जिले के बाहर की) अलग-अलग

(15) प्रतियोगिता का आयोजन किस प्रकार हुआ उसके आयोजन में किस प्रकार की कमियॉ रही तथा आगामी प्रतियोगितास में उसको दूर करने के संबंध में अपने सुझाव देते हुए पूर्ण प्रतियोगिता प्रतिवेदन भी भिजवावें।

(16) आय-व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा दो प्रतियों में भिजवावें। जिससे निदेशकालय द्वारा आवंटित बजट एवं दान दाताओं से प्राप्त राशि को अलग-अलग भिजवावें।

(17) जिले के दल के साथ उपस्थित दलाधिपति, दल प्रबन्धक, प्रभारी शरीरिक शिक्षक एवं अन्य कार्मिकों की सूची मय संस्थापन विवरण से भिजवावें ।

(18) प्रथम 8 स्थान प्राप्त करने वाले जिलों की सूचना दो प्रतियों में भिजवावें।

(19) प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जिलों के नाम व संख्या एवं भाग नहीं लेने वाले जिलों के नाम व संख्या (खिलाड़ियों की कुल संख्या) भी भिजवावें।

(20) समस्त अभिलेख की एक प्रति संस्था प्रधान अपने संस्था के अभिलेखों में सुरक्षित रखने का प्रमाण पत्र।

(21) मेरिट प्रमाण पत्रों के वितरण का दायित्व प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान का होगा। मेरिट प्रमाण पत्रों का हिसाब निदेशालय को सौंपने का दायित्व प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान का होगा। पूर्व निर्देशानुसार मेरिट प्रमाण पत्रों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था एवं सुन्दर हस्तलिपि वाले व्यक्ति की व्यवस्था आप द्वारा की जानी अपेक्षित है।

(22) सम्पूर्ण प्रतियोगिता अभिलेख प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात् (व्यय विवरण मय बाउचर छोड़कर) निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक को उपलब्ध करावें। प्रतियोगिता का व्यय विवरण मय बाउचर प्रतियोगिता समाप्ति के 15 दिवस में इस कार्यालय को वाहक स्तर पर भिजवाने की सुनिश्चितता करें ।

(23) तैराकी व एथलेटिक्स खेल के मैरिट प्रमाण पत्र में प्रत्येक ईन्वेट के आगे खिलाड़ी द्वारा दिये गये समय/दूरी/उंचाई भी निश्चित रुप से अंकित करें।

उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department

चयन समित संयोजक एवं सदस्यों के लिए आवश्यक निर्देश

चयन समिति संयोजक एवं सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नांकित निर्देशों की पालना करना सुनिश्चित करें :–

1. चयन समिति संयोजक एवं सदस्यों से अनुरोध है कि प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचते ही सभी साथ में बैठकर विचार–विमर्श कर चयन संबंधी नीति का निर्धारण करें जिससे राज्य का कोई प्रतिभावान खिलाडी चयन से वंचित न रह जाये ।
2. चयन समिति की बैठक कर उसकी कार्यवाही भी अनिवार्यत राष्ट्रीय प्रतियोगितार्थ खिलाडियों की चयनित सुचियों के साथ निदेशालयको भिजवावें जिससें निदेशालय को पता रहे कि खिलाडियों का चयन करते समय क्या प्रक्रिया अपनाई गई। चयनित सूची के सभी बिन्दु सुस्पष्ट शब्दों में अथवा टंकण किये हुए होने चाहिए ।
3. खिलाडियों के चयन जैसे महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को पूर्ण संजीदगी एवं शुद्ध खेल भावना से करें।
4. राष्ट्रीय प्रतियोगितार्थ चयनित खिलाडियों की सूचिया तीन प्रतियों में निदेशालयको भिजवावे। चयनित खिलाडियों की सूची में उन उत्कृष्ट एवं प्रतिभावान खिलाडियों को ही सम्मिलित किया जावें जिन्हें इसी सत्र में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय विद्यालयी, खेलकूद प्रतियोगिता के चयन परिक्षणार्थ आमंत्रित किया जाना है ।
5. **राष्ट्रीय प्र**तियोगितार्थ टीम गेम के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली **चयनित खिलाड़ियों की सूची में** एक से आठ स्थान प्राप्त टीमों/जिलों के नाम भी अनिवार्य **रूप से अंकित किये जावें। (सम्बद्ध खेल** की आयुवर्गानुसार **एक** से आठ स्थान प्राप्त टीमों/**जिलों की संयोजक चयन समिति** के हस्ताक्षरयुक्त **सूची लिफाफा** न0 3 में पृथक रूप से **भी प्रेषित की जानी हैं।)**
6. चयन समिति संयोजक अगर किन्ही अपरिहार्य कारणों से प्रतियोगिता स्थल पर नहीं पहुंचता है तो क्र.स. 2 पर अंकित अधिकारी/कर्मचारी चयन समिति संयोजक का कार्य भी करेगा। क्रम संख्या–2 पर अंकित अधिकारी/कर्मचारी भी अनुपस्थित रहता है तो क्रम संख्या – 3 पर अंकित अधिकारी/कर्मचारी संयोजक का कार्य भी करेगा ।
7. चयन समिति में से यदि उपस्थितों की संख्या संयोजक सहित 3 (तीन) से कम रहती है तो ऐसी परिस्थितियों में चयन समिति संयोजक एवं प्रतियोगिता आयोज्य संस्था प्रधान आपस में मिलकर निदेशालय द्वारा प्रतिनियुक्त निर्णायक में से जो सम्बद्ध खेल विशेष का ज्ञान रखता हो वरीयता के अनुसार उसको मनोनित किया जावे एवं इसकी सूचना आयोज्य संस्था प्रधान मेल से निदेशालय को तत्काल भिजवावें । चयन समिति में कम से कम तीनं (3) संख्या संयोजक सहित होनी आवश्यक है ।
8. खिलाडियों की चयन प्रकिया के दौरान खिंलाडी की शारीरिक क्षमता तकनीकी ज्ञान, खेल प्रदर्शन एवं खेल कौशल के पक्ष पर विशेष ध्यान रखें ।
9. **चयनित सूची में चयन समिति के संयोजक एंव सभी सदस्य अपने पूर्ण हस्ताक्षर स्पष्टता से मय नाम व पदस्थापन स्थान व मोबाइल नम्बर सहित अंकित करें। अगर कोई सदस्य अपनी अलग राय रखता हो तो वह भी अलग से अपने प्रतिवेदन में निश्चित रूप से अंकित करें । चयनित खिलाड़ियो की सूची राष्ट्रीय प्रतियोगितार्थ एवं ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर हेतु पृथक–पृथक तीन प्रतियों में एवं खिलाड़ी योग्यता प्रमाण पत्र मय 8वीं/10वीं की अंकतालिका की एक प्रति सहित बंद लिफाफें में संबंद्ध संयोजक चयन समिति प्रतियोगिता समाप्ति के अगले दिन स्वंय लेकर निदेशालय बीकानेर में प्रस्तुत करेगें ।**

Rajasthan Education Department

10. अगर प्रतियोगिता आयोजक संस्था प्रधान/संयोजक निर्णायक मण्डल निर्णायक कार्य हेतु उच्च स्तर के निर्णायकों की कमी महसूस करते हो एवं निर्णायक कार्य हेतु चयन समिति सदस्यों की सेवाएं लेना चाहता हो तो वे उनको पूर्ण सहयोग प्रदान करें ।

11. प्रायः यह देखनें में आया है कि स्कूल का नाम स्पष्ट व पूरा अंकित नहीं किया जाता है। अतः समस्त विवरण पूर्ण एवं स्पष्ट अंकित करें ।

12. राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु चयन परीक्षणार्थ चयनित खिलाडियों की सूची के साथ दलीय एवं व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम आठ स्थान प्राप्त करने वाली टीमों (जिलों) के नाम की सूची भी तीन प्रतियों में आवश्यक रूप से निदेशालय को अलग से लिफाफें में भिजवावें।

13. विशेष विद्यालय जैसे सादुल स्पोर्टस बीकानेर, सत्र पर्यन्त प्रशिक्षण केन्द्र के विद्यालय, खेल छात्रावास के विद्यालय एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा संचालित खेल विद्यालय/छात्रावास/ अकादमी के तहत प्रशिक्षण लेनें वाले खिलाडियों आदि का दल पूर्ण नही होता है तो इन विशिष्ट विद्यालयों के खिलाडी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता स्थल पर अपने संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य की अभिशंषा पर चयन परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे एवं अन्य किसी विद्यालय का पूर्व विद्यालय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले चुका श्रेष्ठ खिलाडी किसी विशेष कारण से जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका है तो राज्य स्तरीय चयन समिति के पास प्रतियोगिता समाप्ति के एक दिन पूर्व प्रातः 11:00 बजे तक खिलाडी स्वयं उक्त सत्र में प्रतियोगिता के समय अपने विद्यालय के संस्था प्रधान का नियमित विद्यार्थी होनें का पत्र मय योग्यता प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होने पर चयन समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाकर चयन होता है तो निर्धारित संख्या में ही पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर की राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली सूची में सम्मिलित किया जावें ।

14. चयन समिति द्वारा पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षर्ण शिविर हेतु चयनित खिलाडियों की सूची प्रतियोगिता स्थल पर घोषित नहीं की जावे एवं न ही चयनित खिलाडियों की सूची की कोई प्रति अपने पास रखें। इसके साथ चयन सूची पर यह प्रमाण पत्र देवें कि ''उक्त तीन प्रतियों के अलावा अन्य कोई प्रति नहीं रखी गई है। पूर्ण गोपनीयता वांछनीय है ।

15. खिलाड़ियों की चयन सूची के नीचे चयन समिति अपने हस्ताक्षर के साथ–साथ अपना पूरा नाम, पद, कार्यरत स्थान, विद्यालय, निवास के दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर सहित स्पष्ट रूप से अनिवार्यतः अंकित करें ।

16. खेल पोजीशन के आधार पर चयन सूची में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए सूची भिजवावे :–

क्र.सं.	खिलाड़ी का नाम	पिता का नाम	कक्षा	जन्मतिथि	विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6

पत्र. व्यवहार का पता	टेलीफोन नम्बर कोड सहित	खेल पोजिशन	खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता	खेल प्रदर्शन	खेल कौशल
7	8	9	10	11	12

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

17. पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर एवं ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर हेतु खिलाड़ियो की पोजीशन वार एंव वरीयतानुसार संख्या का निर्धारण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	खेल का नाम	खिलाड़ियो की कुल संख्या	क्र.सं. 21 तक के खेलों के लिए पोजिशन वार खिलाड़ी संख्या का परिशिष्ठ ख संलग्न है ।
1.	बास्केटबॉल	20	
2.	कबड्डी	20	
3.	खो–खो	20	
4.	हैण्डबॉल	25	
5.	वॉलीबाल	20	
6.	हॉकी	28	
7.	फुटबॉल	26	
8.	क्रिकेट	25	
9.	सॉफ्टबाल	25	
10.	रोल बॉल	24	
11.	नेटबॉल	24	
12.	लगौरी	30	
13.	शूटिंग बॉल	24	
14.	सुपर सेवन क्रिकेट	24	
15.	सेपक टकरा	10	
16.	थ्रो बॉल	24	
17.	टग ऑफ वार	20	
18.	टेनिस क्रिकेट	32	
19.	टेनिस वॉलीबाल	12	
20.	टेनिस बॉल क्रिकेट	28	
21.	रग्बी फुटबाल	24	
22.	टेबल टेनिस	10	
23.	बेडमिंटन	10	
24.	लॉन टेनिस	10	
25.	जिम्नास्टिक	14	
26.	तीरंदाजी(इंडियन राउंड) तीरंदाजी (फीटा राउंड)	08 08	
27.	कुश्ती	प्रत्येक वजन में दो	
28.	जूडो	प्रत्येक वजन में दो	
29.	तैराकी	प्रत्येक इवेन्टस/वर्ग में 2–2 एवं रिले में 8	
30.	एथलेटिक्स	प्रत्येक इवेन्टस/वर्ग में 2–2 रिले को छोडकर	
31.	साईक्लिंग	08(प्रत्येक इवेन्ट में 04)	
32.	बॉक्सिग	प्रत्येक वजन में दो	

Rajasthan Edication Department
सत्यमेव जयते

33.	शतरंज	10	
34.	पावर लिफ्टिंग	प्रत्येक वजन में दो	
35.	वेट लिफ्टिंग	प्रत्येक वजन में दो	
36.	योगा	10	
37.	रोलर स्केटिंग	24	
38.	**वुशु**	प्रत्येक वजन में दो	
39.	**मलखम्ब**	12	
40.	कूडो	प्रत्येक वजन में दो	
41.	कराते	प्रत्येक वजन में दो	
42.	बॉल बेडमिंटन	10	
43.	ताइक्वान्डों	प्रत्येक वजन में दो	
44.	**आस्टे डू अखाडा**	प्रत्येक वजन में दो	
45.	राईफल शूटिंग	08(प्रत्येक इवेन्ट में 04)	
46.	स्कॉय मार्शलआर्ट	24	
47.	स्पीड बॉल	16	
48.	कैरम	10	

उप निदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयोजक चयन समिति द्वारा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को वांछित दस्तावेज सौंपने हेतु दिशा–निर्देश

राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता सम्पादनोपरान्त सम्बद्व खेलों के संयोजक चयन समिति द्वारा उप निदेशक (खेलकूद) माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान, बीकानेर को व्यक्तिशः उपस्थित होकर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे । प्रस्तुत किये जाने वाले/सौंपे जाने वाले दस्तावेजो का विवरण इस प्रकार है :–

क्र.स.	लिफाफा न.	सामग्री/दस्तावेज जो लिफाफे में डालने है।
1.	लिफाफा न. 1	राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगितार्थ चयन परीक्षण हेतु आमंत्रित किये जाने वाले खिलाड़ियों की (निर्धारित प्रारूप व संख्या में) सूची–तीन प्रतियों में, साथ ही सूची में अंकित खिलाडियों के मूल योग्यता फार्म मय जन्मतिथि प्रमाणीकरण हेतु कक्षा–8 वीं/10 वीं की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की प्रति (क्रमवार)
2.	लिफाफा न. 2	ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रशिक्षण शिविर हेतु उदयीमान खिलाड़ियों की (निर्धारित प्रारूप व संख्या में) सूची तीन प्रतियों में, साथ ही सूची में अंकित खिलाड़ियों के योग्यता फार्म मय जन्मतिथि प्रमाणीकरण हेतु कक्षा–8 वीं–10 वीं की अंकतालिका/प्रमाण पत्र की प्रति क्रमवार
3.	लिफाफा न. 3	सम्बद्ध खेल की आयुवर्गानुसार एक से आठ स्थान प्राप्त टीमों / जिलों की सूची संयोजक चयन समिति के हस्ताक्षरयुक्त दो प्रति
4.	लिफाफा न. 4	संयोजक चयन समिति व सदस्य चयन समिति (समस्त) का प्रतिवेदन
5.	लिफाफा न. 5	उपरोक्त सभी लिफाफों नं. 1 से 4 (प्रत्येक लिफाफे सील बन्द)

उक्त प्रत्येक लिफाफे के ऊपर लिफाफे में डाले हुए दस्तावेजों के नाम व अंकित तादाद का उल्लेख करते हुए प्रत्येक लिफाफे के उपर निम्नाकिंत सूचना भी अंकित करें :–

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

1. लिफाफा नंम्बर
2. प्रतियोगिता आयोजक विद्यालय का नाम
3. खेल का नाम आयु वर्ग सहित
4. प्रतियोगिता अवधि

उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करे। अपूर्ण दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जावेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संयोजक चयन समिति की होगी।

उपनिदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए लगाए जाने वाले पर्यवेक्षकों के लिए निर्देश

विभाग द्वार प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न स्थलों पर किया जाता है । जिसमें हजारों विद्यार्थी भाग लेते है । अतः प्रतियोगिता के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो तथा प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों व कार्मिकों की पूर्ण सुरक्षा, आवास व्यवस्था मय पर्याप्त स्नानघर व शौचालय, चिकित्सा सुविधा, खेल मैदान व उपकरण की पर्याप्त सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते है:–

1. छात्र–छात्रा खिलाड़ियों के लिए अलग–अलग आवास, शौचालय, स्नानघर की पर्याप्त व्यवस्था की जावे। छात्रा खिलाड़ियों एवं महिला कार्मिकों की एवं छात्र खिलाड़ियों तथा पुरूष कार्मिकों की आवास व्यवस्था पृथक–पृथक की जावे ।
2. खिलाड़ियों व कार्मिकों के लिए पानी व बिजली की समुचित व्यवस्था हो ।
3. छात्र–छात्रा खिलाड़ी दलों के साथ आए कार्मिक अपने–अपने दलों के साथ ही निवास करेंगे ।
4. प्रतियोगिता के लिए मैदान व उपकरण व्यवस्था पूर्ण हो ।
5. प्रतियोगिता स्थल एवं आवास स्थल पर किसी प्रकार की असामायिक अथवा अप्रिय घटना घटित न हो इसकी पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करें । अस्थाई लाईट की व्यवस्था में तार खुले नहीं रहें इसका विशेष ध्यान रखें ।
6. तैराकी प्रतियोगिता में लाइफगार्ड (गोताखोर) की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जावे ।
7. बैडमिण्टन एवं टेबल–टेनिस खेलों के लिए आयोजक विद्यालय के प्रतियोगिता स्थल पर आवश्यक हॉल की व्यवस्था, तैराकी प्रतियोगिता के लिए मानदण्डानुसार तरणताल की उपलब्धता, जिसमें इन खेलों का आयोजन हो सके । आवश्यक रूप से होने चाहिए ।
8. प्रतियोगिता स्थल पर चिकित्सक या कम्पाउण्डर (महिला/पुरूष) सहित समुचित चिकित्सा व्यवस्था सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर उपलब्ध कराई जावें ।
9. **प्रतियोगिता स्थल पर अधिकृत मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था हो, अधिकृत मेडिकल बोर्ड टीम में फिजिशियन, डेण्टिशियट तथा रेडियोलोजिस्ट की सेवा ली जाकर सभी सम्भागियों की प्रतियोगिता शुरू होने के एक दिन पूर्व निर्धारित आयु में होने की मेडिकल जॉच आवश्यक रूप से करवाई जावे । एक बार प्रतियोगिता शुरू होने के बाद आयु सम्बन्धी प्रतिवाद स्वीकार्य नहीं होगा ।**
10. **राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के मेरिट/स्मरण पत्र प्रतियोगिता स्थल पर ही सम्बन्धित खिलाड़ियों को अनिवार्य रूप से वितरित किए जावें । तथा यह भी सुनिश्चित किया जावे कि खिलाड़ियों द्वारा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर ही खिलाड़ियों को सम्भागित्व/मेरिट प्रमाण पत्र दिया जावे ।**
11. प्रतियोगिता संयोजक, प्रतियोगिता सचिव (सदस्य)/जिला शिक्षा अधिकारी, अध्यक्ष, संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा तथा प्रतियोगिता स्थल पर पहुँची प्रत्येक टीम प्रभारी, निर्णायक, प्रशिक्षक से सम्पर्क बनाए रखना।
12. प्रतियोगिता स्थल पर पहुँचकर कलेक्टर, अधीक्षक पुलिस, जिला शिक्षा अधिकारी, उपनिदेशक के दूरभाष प्राप्त कर विपरीत स्थितियों से अवगत करा सहायता प्राप्त करना ।
13. प्रतियोगिता स्थल पर अनुशासन, संचालन, नियंत्रण की जानकारी रखना । विपरीत स्थिति में संयोजक, अध्यक्ष व जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराना ।
14. प्रतियोगिता स्थल पर तथा छात्र व महिला आवास व्यवस्था पर सुरक्षा हेतु पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की व्यवस्था हो ।
15. प्रतियोगिता के दौरान किसी भी कार्मिक द्वारा शराब या अन्य व्यसन से युक्त पाये जाने पर तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।
16. राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएँ स्वयं की पूर्ण देख–रेख में आयोजित करावें ।
17. **इस कार्यालय के निर्देशानुसार प्रतियोगिता अभिलेख निदेशकालय को भिजवाने के सम्बन्ध में आयोजक संस्था प्रधान को दिए गए निर्देशों के पत्र की प्रति संलग्नानुसार उसमें वर्णित बिन्दु संख्या 1 से 22 तक की समस्त सूचनाएँ अपनी देख–रेख में तैयार करवाकर सम्पूर्ण अभिलेख (केवल व्यय विवरण मय बाउचर छोड़कर) निदेशक कार्यालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के खेल अनुभाग में व्यक्तिशः उपस्थित होकर जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी ।**
18. प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात् उक्त प्रतियोगिता के आयोजन सम्बन्धी समस्त वॉछित बिन्दुओं को समाहित करते हुए अपना प्रतिवेदन व आवश्यक सूचनाएँ अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को अलग से प्रस्तुत करेंगे ।

उपनिदेशक (खेलकूद)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते